89 (2) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक बोर्ड में गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को शामिल करना

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा.सं. 18(6)/जीएम और दिनांक 26. 11.2001 के का.ज्ञा. सं. 18(6)/2000–जीएम का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था की गई है कि किसी सरकारी उद्यम के निदेशक बोर्ड में निदेशकों की कुल सं. की कम से कम एक तिहाई संख्या गैर–सरकारी निदेशकों की होनी चाहिए और कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नेतृत्वाधीन सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निदेशकों की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होनी चाहिए। इस विभाग ने दिनांक 10.11.2005 को यथा संशोधित दिनांक 11.3.2004 को का.ज्ञा. सं. 18(10)/2003– जीएम द्वारा गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मानदंड विहित करते हुए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

2. सचिव लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 1.12.2004 और 16.12.2004 के समसंख्यक अ.शा.पत्रों में सभी सरकारी उद्यमों के निदेशक बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग को भेजे जाने चाहिएं ताकि प्रत्येक सरकारी उद्यम के लिए स्वतंत्र निदेशकों की सूची तैयार की जा सके। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों को संबोधित 11 नवम्बर 2005 को अ.शा.पत्र सं. 18(8)/2005 –जीएम में दिनांक 1.1.2006 तक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

3. खोज समिति जो नवरत्न और मिनीरत्न सरकारी उद्यमों के लिए स्वतंत्र निदेशकों का चयन करती है, ने इच्छा व्यक्त की है, कि स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां भरने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। समिति ने आगे इच्छा व्यक्त की है कि चयन के लिए प्रस्ताव उसके समक्ष रिक्तियां होने की तारीख से कम से कम छह महीने पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

4. अगर विचारार्थ पात्र व्यक्तियों की पहचान करने में कोई कठिनाई है तो इस विभाग द्वारा रखे गए डाटा बैंक के नाम लिए जा सकते हैं यह डाटा बैंक लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट www.dpe.nic.in पर उपलब्ध हैं।

5. चूँकि इस मुद्दे को हाल के पिछले कुछ दिनों में काफी महत्व दिया गया है और संसद में भी प्रायः कई प्रश्न उठाए गए हैं इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रत्येक सरकारी उद्यम में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों की संख्या और रिक्तियों को भरने के लिए किए गए उपाय इंगित करते हुए स्थिति कृपया इस विभाग को अति शीघ्र सूचित की जाए।

(लो.उ.वि. का 9 दिसंबर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 9(32) 2004–जीएम–जीएल–76)